न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 87 / 2019

प्रार्थीगण

1. नवा पुत्र उका
   जाति रबारी निवासी कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गेपाराम पुत्र बाबराराम
2. दूदाराम पुत्र मंगलाराम
3. मोडाराम पुत्र गडुकाराम
4. लेहरो पत्नी मंगलाराम
5. हीरा पुत्र बाबराराम
6. बलाराम पुत्र देवाराम
7. मोडाराम पुत्र देवाराम
8. नगाराम पुत्र अचलाराम
9. मंगलाराम पुत्र अचलाराम
10. लेहरोंदेवी पत्नी अचलाराम
11. हडमताराम पुत्र विरधाराम
12. सोमताराम पुत्र विरधाराम
13. जेठाराम पुत्र रामाराम
14. निम्बाराम पुत्र रामाराम
15. नोजी पत्नी रामाराम
16. वलीया पुत्र रामाराम
17. बाबराराम पुत्र उकाराम
    जाति देवासी निवासी कुण्डल तहसील सिवाना
18. आत्माराम पुत्र बगदाराम जाति गर्ग/गुरूडा निवासी कुण्डल
19. पानी पत्नी बगदाराम जाति गर्ग/गुरूडा निवासी कुण्डल
20. समरथाराम पुत्र सवाराम
21. अचलाराम पुत्र विरधाराम
22. आम्बा पुत्र विरधाराम (फौत होने से तर्क)
23. कला पुत्र सवाराम
24. काना पुत्र जोगा (फौत होने से तर्क)
25. धर्मा पत्नी विरधा (फौत होने से तर्क)
26. नरसींगा पुत्र जोगा (फौत होने से तर्क)
27. भीखा पुत्र जोगा
28. रामा पुत्र उका (फौत होने से तर्क)
29. लक्ष्मणा पुत्र विरधा
30. लेहरों पुत्री विरधा
31. समती पुत्री विरधा
32. लेहरो पत्नी हेमाराम
33. गेहरो पत्नी धूसाराम
    जाति देवासी निवासी कुण्डल
34. गंगासिंह पुत्र भंवरसिंह
35. जालमसिंह पुत्र भंवरसिंह
    जाति राजपूत निवासी कुण्डल
36. राजीव गांधी पाठशाला जरिये प्रधानाध्यापक
37. गेपाराम पुत्र रामाराम
38. गीगाराम पुत्र रामाराम
39. बंशीलाल पुत्र अजराराम
    जाति देवासी निवासी कुण्डल
40. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 88
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2020.11.05 17:17:14 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 14/09/20

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071 सरहद मौजा कुण्डल पटवार मण्डल कुण्डल तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 990/100 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 995/101 रकबा 0.8499, खसरा नम्बर 992/100 रकबा 1.0198 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीग का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा कुण्डल पटवार मण्डल कुण्डल तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 990/100 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 995/101 रकबा 0.8499, खसरा नम्बर 992/100 रकबा 1.0198 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किंया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक ....14/09/20.... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2020.11.05 17:17:14 IST
Reason: SelfAttested